Form-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्,

गोपालगंज।

उपस्थिति- श्रीमती विभा द्विवेदी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, गोपालगंज।

निर्णय की तारीख–30वीं जुलाई, 2026

[सत्रवाद सं0– 311/2018]

(उद्भूत विशंभरपुर थाना कांड सं0–**75/2005, दिनांक–13.10.2005,** धारा–**147, 148, 307, 379, 504** भा0द0वि0

सूचक	ज्ञानचंद प्रसाद, पिता–राम सुंदर प्रसाद, साकिन–खेम मटिहनिया, थाना–विशम्भरपुर, जिला–गोपालगंज
द्वारा	श्री अनिल शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1. अवधलाल प्रसाद 2. बाबु प्रसाद दोनों साकिन–खेम मटिहनिया,थाना–विशम्भरपुर, जिला–गोपालगंज
द्वारा	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता

FORM

घटना की तारीख	13-10-2005
एफ.आई.आर. की तारीख	13-10-2005
आरोप पत्र सं0 एवं तारीख	आरोप पत्र सं0-44/2006, तारीख-28-05-2006
संज्ञान आदेश की तारीख	18-12-2008
सुपुर्दगी आदेश की तारीख	18-12-2008
आरोप गठन की तारीख	07-02-2019
साक्ष्य प्रारंभ होने की तारीख	25-02-2019
निर्णय हेतु रिजर्व करने की तारीख	28-07-2026
निर्णय की तारीख	30-07-2026
दंडादेश की तारीख, यदि कोई हो	N/A

Accused Details (अभियुक्त का विवरण)

कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तारीख	गठित आरोप	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	आधरोपित दंडादेश	विचारण के दौरान काराधीन अविध धारा–428 द0प्र0सं0 के प्रपोजनार्थ
1.	अवधलाल प्रसाद	–	–	धारा–147, 148, 307, 379, 504 भा0द0वि0	Acquittal	–	–
2.	बाबु प्रसाद	–	–	धारा–147, 148, 307, 379, 504 भा0द0वि0	Acquittal	–	–

FORM C

अभियोजन/बचाव पक्ष/ कोर्ट साक्षी की सूची

A. अभियोजन

कम	नाम	साक्षी की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
अभि0 साक्षी सं0–1	राजकिशोर पंडित	पक्षद्रोही साक्षी
अभि0 साक्षी सं0–2	ज्ञानचंद प्रसाद	सूचक
अभि0 साक्षी सं0–3	माया देवी	पक्षद्रोही साक्षी
अभि0 साक्षी सं0–4	ओमप्रकाश यादव उर्फ भगेलु यादव	
अभि0 साक्षी सं0–5	रामफूल प्रसाद उर्फ रामफल प्रसाद	

B. बचाव साक्षी, यदि कोई हो– नहीं

C. कोर्ट साक्षी, यदि कोई हो– नहीं

D.

अभियोजन/बचाव पक्ष/ कोर्ट प्रदर्श की सूची

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**N/A**	N/A

A. अभियोजन

Sr. No.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**N/A**	N/A

B. बचाव पक्ष

प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रदर्श संख्या

1	N/A	**N/A**

C. कोर्ट प्रदर्श

प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रदर्श संख्या
1	N/A	**N/A**

D. वस्तु प्रदर्श

प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रदर्श संख्या
1	N/A	**N/A**

निर्णय की तिथि–30वीं जुलाई 2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण 1. अवधलाल प्रसाद 2. बाबु प्रसाद इस मामले में अंतर्गत धारा–147, 148, 307, 379, 504 भा0द0वि0 में विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक–13.10.2005 को सुबह करीब 7 बजे जब अपने घर जाने के क्रम में अपने दरवाजे पर पहुंचे तो 1. अवध लाल प्रसाद 2. चन्द्र किशोर प्रसाद 3. बाबु प्रसाद 4. कस्तूरी देवी 5. कुसुमवती देवी ये सभी लोग हथियार लेकर आये और गाली देते हुए कहा कि तुम उस रास्ते से क्यों जाते हो, रास्ता बंद कर देंगे। ये बोले कि रोज–रोज नहीं जाते हैं, इसी बात को लेकर जान मारने के नियत से 1. अवध लाल प्रसाद फरसा से सर पर मारने का कोशिश किये लेकिन वह बायां पैर पर लगा, जिससे जांघ के पास कट गया और काफी खून गिरने लगा। उसके बाद गर्दन पर मारे जिससे गर्दन के बीच में कट गया जिससे खून गिरने लगा और ये जमीन पर गिर गये तो बाबु प्रसाद छुरा से मारना चाहा लेकिन दोनों हाथ के वाट पर लग गया, जिससे वाट कट गया और खून गिरने लगा। चन्द्र किशोर प्रसाद गड़ासी से इनके पैर पर मारे जिससे इनका ठेहुना कट गया। उसके बाद कस्तूरी देवी और कुसुमवती देवी लाठी, डंडा से इनके पत्नी को मारे तथा उसका सोने का चेन खींच लिये। उसके बाद सारे लोग भाग गये।

3. यह मुकदमा सूचक के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन जो थाना प्रभारी विशंभरपूर को संबोधित है, के आधार पर कायम हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–28-05-2006 को आरोप पत्र समर्पित किया गया एवं संज्ञानोपरांत एवं दौरा सुपुर्दगी पश्चात विभिन्न न्यायालयों से होते हुये यह मुकदमा इस न्यायालय की संचिका में दिनांक–02.06.2018 को त्वरित निष्पादन एवं विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. दिनांक–07.02.2019 को अंतर्गत धारा–341, 504, 307 भा0द0वि0 में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे सुनकर अभियुक्त ने अपराध से इंकार किये तथा विचारण का दावा किये।

5. अभियुक्त ने अपने बयान की धारा–313 द0प्र0सं0 में अपने आप को निर्दोष बताया हैं।

6. सफाई पक्ष का कथन संक्षेप में यह है कि अभियुक्त ने कथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है एवं उसे गलत ढंग से झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है तथा दोनों पक्षों में सुलह हो जाने की बात को बताये हैं।

7. अभियोजन की ओर से इस वाद में लिखित बहस दाखिल किया गया।

8. उभय पक्षों के कथनों के आधार पर विवेचन हेतु यह बिंदु सुनिश्चित की जाती है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों पर अपना मुकदमा सभी संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रही है?

मंतव्य

9. अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय यह पाती है कि इस मुकदमें में अभियोजन की ओर से कुल पांच मौखिक साक्षियों ने अपने–अपने साक्ष्य दिये हैं जो है– अभियोजन साक्षी सं0–1 राजकिशोर पंडित, अभियोजन साक्षी सं0–2 ज्ञानचंद्र प्रसाद जो इस वाद के सूचक हैं, अभियोजन साक्षी सं0–3 माया देवी, अभियोजन साक्षी सं0–4 ओमप्रकाश यादव उर्फ भगेलु यादव, अभियोजन साक्षी सं0–5 रामफूल प्रसाद उर्फ रामफल प्रसाद हैं।

10. सफाई पक्ष की ओर से इस मुकदमें में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. संपूर्ण अभिलेख एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि इस वाद के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वंय सूचक हैं, जो अभियोजन साक्षी सं0–2 के रूप में प्रस्तुत है एवं अन्य साक्षी अभियोजन साक्षी सं–1, 3, 4 एवं 5 हैं। अतः सर्वप्रथम सूचक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अवलोकन करना आवश्यक है।

अभियोजन साक्षी सं–2 ज्ञानचंद प्रसाद हैं, जो इस केस के सूचक हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुदालह लोग इनके घर पर आकर गाली–गलौज करने लगे। भीड़–भाड़ हो गया और धक्का–मुक्की होने लगा। उसी धक्का–मुक्की में इनके जांघ पर चोट लगा, अन्य किसी को चोट नहीं लगा। रास्ता के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। फर्दबयान पर इनका हस्ताक्षर है, पहचान पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में ये कहते हैं कि गांव के लोग आ गये थे उसी भीड़–भाड़ में चोट लगी, कैसे चोट लगी नहीं जानते। यह मुकदमा सुलह हो चुका है, सुलहनामा पर इनका हस्ताक्षर है। मुदालह लोग इनके साथ मारपीट नहीं किये थे।

अभियोजन साक्षी सं–1 राजकिशोर पंडित, अभियोजन साक्षी सं–3 माया देवी, अभियोजन साक्षी सं–4 ओमप्रकाश यादव उर्फ भगेलु यादव, अभियोजन साक्षी सं–5 रामफूल प्रसाद उर्फ रामफल प्रसाद हैं, इन्होंने अपने–अपने मुख्य परीक्षणों में घटना के विषय में कुछ भी नहीं जानने तथा पुलिस में इनका बयान नहीं होने का कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा इन चारों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण में इन्होंने अपने–अपने साक्ष्य में नोटिश पर गवाही देने का

कथन किये हैं। इस प्रकार इनके साक्ष्यों के आधार पर भी यह मुकदमा अभियुक्त पर साबित नहीं हो पाता है।

इस वाद में अभियोजन को पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस वाद के अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी को इस वाद में साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

12. अतः उपरोक्त साक्षियों के विवेचनाओं एवं मुकदमें की परिस्थितियों में न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अपना मुकदमा सभी संदेहों से परे अभियुक्तों पर साबित करने में पूर्णतः विफल रही है।

परिणामतः अभियुक्त **1. अवधलाल प्रसाद 2. बाबु प्रसाद** को भा0द0वि0 की धारा–**147, 148, 307, 379, 504** भा0द0वि0 के आरोप से साक्ष्यों के आभाव में निर्दोष घोषित करते हुये <u>दोषमुक्त</u> किया जाता है तथा इन्हें एवं इनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
गोपालगंज
दिनांक–**30.07.2026**

मेरे द्वारा लेखापित व शुद्धित

अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्
गोपालगंज।
दिनांक–**30.07.2026**